कार्यालय
संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा, रायपुर)
दूरभाष कमांक 0771–4240278, ई–मेल– jdeduraipur@gmail.com

क्रमांक / विभागीय अनुमति / आर–010 / 2020 / 1479 रायपुर, दिनांक 24/12/20

प्रति,

प्रबंधक / अध्यक्ष,
धर्म फाउंडेशन सोसायटी, एम.आई.जी.2 / 26 महाराणा प्रताप नगर(एक्सटें)
पो.आ. एवं जिला कोरबा(छ.ग.) पं.क्र.122201753827
वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास ग्राम उमरिया
वि.खं.आरंग जिला–रायपुर(छ.ग.)

विषय :– **कक्षा 9 वीं से 12 वीं कक्षोन्नयन के संबंध में अनुमति ।**

संदर्भ :– कार्या.जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर (छ.ग.) का ज्ञाप कमांक / मान्यता / 2020 / 3038 दिनांक 22.12.2020

—0—

आपके आवेदन पत्र की तारीख 08.12.2020 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर (छ.ग.) के अनुशंसा उपरांत छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 2–39 / 2019 / 20–दो दिनांक 13.11.2019 द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा **वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास ग्राम उमरिया वि.खं.आरंग जिला–रायपुर(छ.ग.)** विद्यालय का नाम पता सहित) का सत्र 2020–21 से 2022–23 तक तीन वर्षो की अवधि के लिए, **कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं (माध्यम–अंग्रेजी)** के लिए नई कक्षा उन्नयन के लिये अनंतिम अनुमति प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. छ.ग.शिक्षा संहिता में दिये गए नियमों एवं निर्देशों के अनुसार विद्यालय का संचालन किया जावेगा ।
2. छ.ग.शासन के नियमों , आदेशों एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावेगा ।
3. विद्यालय में कक्षा नर्सरी एवं कक्षा पहली से बारहवीं तक संचालन की स्थिति में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
4. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
5. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
6. अध्यापकों की भर्ती, छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जानी है।
7. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी। विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ।
8. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है। विद्यालय को किसी वैयक्तिक , वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
9. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण , नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
10. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक **2020–आर–0010** है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें ।
11. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।
12. हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से सम्बद्धता /मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। विद्यालय, यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा ।
13. छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही विद्यालय में अध्यापन एवं पाठ्यपुस्तकें मान्य होगी।
14. विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगताना बैंक खाता के माध्यम से अनिवार्य रूप से करना होगा ।
15. समय–समय पर विभाग द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना होगा । विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षकों द्वारा शाला निरीक्षण एवं लेखाओं की जांच किसी भी समय की जा सकती है ।
16. शाला स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) में मान्यता का कमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।

विद्यालय के संचालन में अनियमितता पाये जाने अथवा नियमों / निर्देशों का पालन करना नही पाये जाने अथवा शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गई अनुमति निरस्त कर दी जावेगी।

संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग रायपुर(छ.ग.)

क्रमांक / विभागीय अनुमति / आर–010 / 2020–21 /

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला–रायपुर (छ.ग.) ।
3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, आरंग जिला–रायपुर (छ.ग.)।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Sd -

संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग रायपुर(छ.ग.)